राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2011 से 3/2015

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अंकेक्षण अनुच्छेदों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/2002 से 3/2006

1)	पैरा 6(i)	अनिर्णीत।	
2)	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत।	
3)	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत।	
4)	पैरा 8(क)	अनिर्णीत।	
5)	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत।	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011

1)	पैरा 5	अनिर्णीत।	
2)	पैरा 6	निर्णीतं	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
3)	पैरा 7	निर्णीत	(संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखानुसार)
4)	पैरा 8	अनिर्णीत।	
5)	पैरा 9	निर्णीत	(अपेक्षित राशि को सरकारी कोष मे जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
6)	पैरा 10	अनिर्णीत।	
7)	पैरा 11	निर्णीत	(₹7098 की राशि के छात्र कल्याण निधि खाते में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
8)	पैरा 12	अनिर्णीत।	
9)	पैरा 13	अनिर्णीत।	
10)	पैरा 14	अनिर्णीत।	
11)	पैरा 15	अनिर्णीत।	

12)	पैरा 16	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 मे दी गई है)
13)	पैरा 17	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान तैयार करवा दिया गया)
14)	पैरा 18	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 13 में दी गई है)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं, श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 14.5.2015 से 22.5.2015 तक बणी में किया गया। छात्र निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्श	आय	व्यय
2011–12	7/2011	8/2011
2012–13	7/2012	8/2012
2013–14	7/2013	3/2014
2014–15	2/2015	10/2014

अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण होने, गलत होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उतरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में संस्थान के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे प्रधानाचार्यों की सूची निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	**प्रधानाचार्य का नाम**	**अवधि**
1)	श्री महिन्द्र सिंह	1.2.2010 से 22.12.2011
2)	श्री जी0डी0 शर्मा	22.12.2011 से 30.4.2013
3)	श्री आर0एस0 बनयाल	6.5.2013 से अद्यतन

3. <u>अंकेक्षण शुल्क</u> :–

संस्थान के अवधि 4/2011 से 3/2015 तक के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹10,800/– किया गया जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 531, दिनाँक 18.5.2015 की अनुपालना में संस्थान द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्याः 695789, दिनाँक 21.5.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को प्रेषित कर दिया है।

4. <u>वित्तीय स्थिति</u> :–

संस्थान के छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक विवरण संलग्न **परिशिष्ट–''क(1) से क(4)''** तथा बैंक बचत खातों में जमा राशियों का विवरण **परिशिष्ट–''क(5)''** व सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण **परिशिष्ट–''क(6)''** में दिया गया है। वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिसका निराकरण किया जाना अपेक्षित है :–

(क) <u>निधियों में प्राप्त राशियों का उपयोग न करना</u> :–

छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति की विवेचना करने पर पाया गया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित छात्र निधियों का उपयोग छात्र कल्याण गतिविधियों पर नहीं किया गया है जो हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्याः EDN-(TE)-A)3)-2/2004, दिनाँक 8.7.2010 में छात्र निधियों के उपयोगार्थ बनाए गए नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में छात्र निधियों का उपयोग छात्र कल्याण गतिविधियों पर नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र निधियों में प्राप्त राशियों का औचित्य स्पष्ट होने के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध होना भी सुनिश्चित हो सके। छात्र निधियों का विवरण जिन से खर्च नहीं किया निम्नानुसार है :–

वर्ष	निधियों का विवरण
2011–12	भवन व विकास निधि, स्वास्थ्य निधि, परीक्षा निधि, ट्रेनिंग व प्लेसमैन्ट निधि, बिजली व पानी निधि, पुस्तकालय निधि व कम्पयूटर निधि।
2012–13	वर्ष 2012–13 में छात्र कल्याण निधि के अतिरिक्त किसी भी निधि से खर्च नहीं किया गया।
2013–14	भवन व विकास निधि, स्वास्थ्य निधि, परीक्षा निधि, ट्रेनिंग व प्लेसमैन्ट निधि, बिजली व पानी निधि, पुस्तकालय निधि व कम्पयूटर निधि।
2014–15	भवन व विकास निधि, स्वास्थ्य निधि, पहचान पत्र निधि, परीक्षा निधि, ट्रेनिंग व प्लेसमैन्ट निधि, बिजली व पानी निधि, पुस्तकालय निधि व कम्पयूटर निधि।

(ख) छात्र निधियेां में संचित राशियों से सावधि जमा योजना में निवेश न करना :–

छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति की विवेचना करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र निधियों में जमा राशियों को बैंक बचत खातों में ही रखा गया है जबकि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के नियम 4(ख) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष में आय–व्यय का अनुमान लगाकर केवल उतना ही धन डाकखाने/बैंक बचत खाते में रखा जाए जितना की चालू वर्ष के खर्च के लिए अपेक्षित हो तथा अतिरिक्त धन राशि को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाए। अतः नियमों की अनुपालना न करके अतिरिक्त (Surplus) धन राशि को सावधि जमा योजना में निवेश न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा त्वरित रूप से नियमों की अनुपालना करते हुए ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित करें। बैंक बचत खातों में रखी गई राशियों का विवरण **परिशिष्ट–''क(5)''** में दिया गया है।

5. संस्थान प्रतिभूति की वापसी हेतु छात्र कल्याण निधि से ₹19,500 का अनुचित भुगतान :–

रोकड बही के पृष्ठ 90 पर प्रविष्टि के अनुसार दिनाँक 14.8.2012 को छात्र कल्याण निधि से ₹19,000 का भुगतान छात्रों को संस्थान प्रतिभूति वापस करने हेतु किया गया है जबकि संस्थान प्रतिभूति निधि का रख–रखाव अलग बैंक खाता संख्याः 20098003939 काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा बणी में किया गया है। अतः संस्थान प्रतिभूति निधि का संचालन पृथक बैंक खाते में होने पर ₹19,500 की राशि का भुगतान छात्र कल्याण निधि खाते से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुचित रूप से कृत भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके ₹19,500 की राशि छात्र कल्याण निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाई जाए।

6. खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रशिक्षुओं को टैक्सी में ले जाना/लाना तथा टैक्सी यात्रा भी निकटतम दूरी वाले पथ से यात्रा न करने के कारण टैक्सी चार्जिज के रूप में ₹978 का अधिक भुगतान :–

माह 3/2014 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित रैल, जिला हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता–2014 के सन्दर्भ में, श्री दुर्गा दास ठाकुर, अनुदेशक वैल्डर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी, जिला हमीरपुर को दत्त ₹25,000 के अग्रिम से सम्बन्धित समायोजन वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि :–

(क) संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर न बना कर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्रों से टैक्सी के माध्यम से बणी से रैल व वापसी हेतु यात्रा करवाई गईं अतः छात्र निधियों से कृत व्यय में मितव्ययिता न ला कर टैक्सी द्वारा यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में खेलकूद प्रतियोगिताओं के सन्दर्भ में सामूहिक रूप में की जाने वाली यात्राऐं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती पास सुविधा का लाभ उठाकर मितव्ययता का परिचय देते हुए की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) मैं0 नीतु टैक्सी सर्विस, सलौणी, जिला हमीरपुर को निम्न वर्णित यात्राओं के सन्दर्भ में कृत भुगतान से सम्बन्धित बिलों में दर्शायी गई दूरियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ये यात्राऐं निकटतम दूरी वाले पथ से न करके लम्बी दूरी वाले मार्ग से की गई हैं जिस कारण निम्न विवरणानुसार छात्र कल्याण निधि से ₹978 का अधिक भुगतान किया गया है निकटम दूरी वाले पथ का विवरण निम्नानुसार है :–

स्थान से स्थान	दूरी (कि0मी0)
बणी से सलौणी	7
सलौणी से काँगु	20
काँगु से रंगस	6
रंगस से रैल	3
एकतरफा कुल दूरी	**36 किलो मीटर**

नोट : स्थान से स्थान तक की दूरियों का निर्धारण हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रभारित किराये के आधार पर किया गया है।

आने व जाने की कुल दूरी 36 x 2 = 72 किलोमीटर

चूंकि निम्न विवरणानुसार टैक्सी बिलों में बणी से रैल की दूरी 92 किलोमीटर दर्शाई है इस कारण इन यात्राओं में निम्न गणनानुसार ₹978 का अपव्यय हुआ है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹978 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण से करवाई जाए :–

क्र0 सं0	बिल सं0 दिनांक	फर्म का विवरण जिसे भुगतान किया गया	गंतव्य स्थान	बिल में दर्शाई गई दूरी	निकटम पथ से दूरी	अधिक दूरी	किराया प्रति (कि0मी0) (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1)	004 1.4.2014	मै0 नीतु टैक्सी सर्विस सलौणी हमीरपुर	बणी से रैल व वापसी	92 कि0मी0	72 कि0मी0	20 कि0मी0	16.30	326
2)	005 3.4.2014	–यथोपरि–	–यथोपरि–	92 कि0मी0	72 कि0मी0	20 कि0मी0	16.30	326
3)	006 6.4.2014	–यथोपरि–	–यथोपरि–	92 कि0मी0	72 कि0मी0	20 कि0मी0	16.30	326
							योग	= **₹978**

(ग) टैक्सी किराये के रूप में कृत भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाऊचरों को संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित बिल/वाऊचरों को सक्षम प्राधिकारी से भुगतान हेतु पारित करवाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. छात्र निधियों से ₹6880 के भुगतान पर क्रय की गई खेल सामग्री के भण्डार इन्द्राज व उपयोगिता का अभिलेख प्रस्तुत न करना :–

माह 10/2014 में छात्र कल्याण निधि से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो अवधि 30.10.2014 से 5.11.2014 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित रैल जिला हमीरपुर में आयोजित की गई थी, से सम्बन्धित व्यय वहन करते हुए श्री दुर्गा दास ठाकुर, अनुदेशक (बैल्डर ट्रेड) को ₹40,000/– की राशि बतौर अग्रिम दी गई। दत अग्रिम के विरूद्ध प्रस्तुत समायोजन वाऊचरों की जाँच के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न फर्मों से क्रय की गई खेल सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतीत होता है कि क्रय की गई खेल सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं जिनके अभाव में क्रय सामान के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपेक्षित स्टॉक प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। क्रय सामान का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	फर्म का विवरण	बिल सं0/ दिनांक	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	क्रय सामग्री का विवरण	दर (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)
1)	मैं0 हमीर सांईटिफिक इन्स्ट्रूमैन्ट मैहरे, जिला हमीरपुर।	263 1.10.2014	2 2	बॉली बॉल बैड मिन्टन रैकेट	750 350 प्रति जोड़ी	1500 350
2)	मैं0 हमीर सांईटिफिक इन्स्ट्रूमैन्ट मैहरे, जिला हमीरपुर।	270 1.10.2014	5 बाक्स	शट्टल कॉक	270	1350
3)	मैं0 सूर्या इन्ट्रप्राईजिज गागल, नादौन, जिला हमीरपुर।	112 15.10.14	4	बैड मिन्टन रैकेट	190 प्रति जोडी	380
4)	मैं0 हमीर सॉईटिफिक इन्स्ट्रूमैन्ट मैहरे, जिला हमीरपुर।	255 16.10.14	2	बॉली बॉल	800	1600
5)	मैं0 हमीर सांईटिफिक इन्स्ट्रूमैन्ट मैहरे, जिला हमीरपुर।	257 30.10.14	20 1	Anklet or Knee cap बॉली बॉल	45 800	900 800
					योग	=₹6,880

8. ₹15,887/– के भुगतान पर खरीदी गई बायोमिट्रिक मशीन का उपयोग न करना :–

माह 11/2013 में मैं0 एक्सल मार्किंग कॉरपोरेशन एकान्त भवन, मिस्ट चैम्बर, खलीनी, शिमला–02 से उनके बिल संख्याः XL-2013-14/RC00182, दिनाँक 12.11.2013 के माध्यम से क्रय की गई CP Plus Finger print Reader CP X Tal 24 CB हेतु कृत ₹15,887/– के भुगतान के बिल/वाऊचरों व उक्त मशीन की स्थापना रिपोर्ट की जाँच करने पर निम्न अनियमितताऐं पाई गई जिनका निराकरण किया जाए :–

(क) दिनाँक 9.12.2013 को स्थापित की गई मशीन की उक्त फर्म की शर्तों के अनुसार स्थापना की तिथि से 12 माह यानि 9.12.2013 से 8.12.2014 तक की वारन्टी थी। संस्थान प्रशासन से अंकेक्षण के दौरान हुई चर्चा मे बताया गया कि खरीदी गई बायोमिट्रिक मशीन स्थापना की तिथि के बाद केवल तीन चार मास तक कार्य करने के उपरान्त खराब हो गई तथा अवधि 8.12.2014 तक इस मशीन की वारन्टी होने पर भी संस्थान द्वारा आपूर्तिकर्त्ता फर्म से इसे बदलने अथवा ठीक करवाने हेतु कोई लिखित पत्राचार नहीं किया गया। अतः कोताही का यह प्रकरण सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश व निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष इस प्रकरण में यथोचित निर्देश जारी करने/कार्यवाही करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

(ख) अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा) की अधिसूचना संख्याः EDN(T.E)A(3)2/2004, दिनांक 8.7.2010 द्वारा अधिसूचित छात्र कल्याण निधि नियम, 2009 के अनुसार बायोमिट्रिक मशीन खरीदने पर किया गया उपरोक्त ₹15,887/–का व्यय उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत अथवा चुककर्ता से करके ₹15,887/– निधि खाते में यथाशीघ्र जमा करवाए जाऐं व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. <u>संस्थान प्रतिभूति निधि</u> :–

<u>संस्थान प्रतिभूति की राशियों की वापसी व्यक्तिगत चैकों के माध्यम से न करना</u> :–

माह 8/2011 में संस्थान प्रतिभूति निधि (वापसी योग्य) से कृत भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि आरती कुमारी, जिसने AIFTT के अन्तर्गत दाखिला संख्याः 317/2000, कक्षा रोल नम्बर 2 के तहत COPA ट्रेड में प्रशिक्षण पाया था, को ₹500/– की संस्थान प्रतिभूति नकद रूप में लौटाई गई जिसके समर्थन में अपेक्षित रसीद प्राप्त नहीं की गई। अंकेक्षण द्वारा इस प्रकरण को उजागर करने पर यद्यपि उक्त दावेदार को संस्थान में बुलाकर रसीद प्राप्त कर ली गई है तथापि ऐसे प्रकरणों में पारदर्शिता का अभाव होने के कारण राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से भी इन्कार नही किया जा सकता। अतः वापसी योग्य प्रतिभूतियों को वापस करने हेतु सैल्फ चैक के माध्यम से एक मुश्त राशि का आहरण बैंक खाते से करके प्रत्येक दावेदार को नकदी के रूप में भुगतान करने की अपेक्षा प्रत्येक दावेदार को प्रतिभूति की वापसी व्यक्तिगत नाम से चैक काट कर किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना की पुष्टि अंकेक्षण से करवाई जाए।

10. <u>रसीदों में निधिदाता के पूर्ण विवरण का उल्लेख न करना तथा निधि संग्रहण रजिस्टर का रख–रखाव न करना</u> :–

अवधि 4/2011 से 3/2015 तक छात्र निधियों की प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों में निधिदाता प्रशिक्षु का पूर्ण विवरण (जैसे छात्र का रोल नम्बर व ट्रेड) का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके चलते यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन सी रसीद किस ट्रेड के किस छात्र से सम्बन्धित है तथा इस प्रक्रिया में अभिलेख का रख–रखाव पेचीदा–सा प्रतीत होता है। अतः भविष्य में रसीदों का लेखाँकन उपरोक्त प्रक्रियानुसार निधि प्राप्ति/संग्रहण रजिस्टर पर किया जाना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को अपेक्षित रसीदें उपरोक्त अंकेक्षण अभियुक्ति के अनुसार जारी की जानी सुनिश्चित की जाऐं।

11. <u>विभिन्न प्रयोजनों हेतु दत अग्रिमों का अभिलेख प्रस्तुत न करना</u> :–

छात्र कल्याण निधि से विभिन्न प्रयोजनों हेतु दत अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त से सन्दर्भित कोई भी रजिस्टर अथवा अन्य अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि कितनी राशि, कब, किसे व किस प्रयोजन हेतु अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा दत अग्रिम राशि में से कितनी का उपयोग किया गया। यह प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011 के पैरा संख्याः 16 द्वारा भी संस्थान के ध्यानार्थ लाया गया था किन्तु फिर भी इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न करना अंकेक्षण अभियुक्तियों के प्रति उदासीनता का परिचायक है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण अभियुक्ति के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए ताकि दत अग्रिमों का अनुश्रवण प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित हो सके।

12. <u>स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना</u> :–

छात्र कल्याण निधि व छात्रों के उपयोगार्थ अन्य स्त्रोतो से खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के रख–रखाव हेतु प्रचलित रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम–2009 के नियम 140(2) के अनुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011 के पैरा 18 के माध्यम से इस प्रक्रिया में नियमितता लाने का सुझाव दिया गया था किन्तु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी द्वारा फिर भी नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में त्वरित कार्यवाही करते हुए स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा इस प्रक्रिया में पाई गई अप्रयोगयोग्य वस्तुओं की नीलामी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009

के नियम 6 में विहित प्रावधानानुसार करके प्राप्त राशि को सम्बन्धित खातों में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाई जाए।

13. **<u>लघु आपति विवरणिका</u>** :— यह अलग से जारी नहीं की गई।

14. **<u>निष्कर्ष</u>** :— छात्र निधि लेखाओं के रख–रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त आँतरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ करने व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सन्दर्भ मे अपेक्षित कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठाँकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)XI(VI)98/03-खण्ड–1–5501–5504 दिनांकः10.09.15 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
3. श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा ....

पंजीकृत 4 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को **<u>इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।</u>**

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09